यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - VI, राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - VI, राज्य कर, देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.07.2018 से 27.07.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.01.2018 से 17.01.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः रेसकोर्स, मसूरी, क्लेमेन्टाउन, डोईवाला**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	28736
2016-17	32312
2017-18	8557

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	(+)	(-)
2015-16	लागू नही है					
2016-17						
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - VI राज्य कर, देहरादून** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - VI, राज्य कर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह --------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर- 1 कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 37.70 लाख एवं ` 0.40 लाख की अधिक टी डी एस का लाभ दिया जाना।

शासन के पत्र संख्या 3909/XXVII (8)/14 (120)/2006 दिनांक 25/02/2009 (वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की समाधान योजना) के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक के माल के आयात की स्थिति मे कुल प्राप्त धनराशि पर 3 प्रतिशत की दर से समाधान राशि भुगतान किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

कार्यालय के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि आर जी बिल्डवेल इंजी0 प्रा0 लि0 टिन सं0 05002864241 के वर्ष 2009-10 की कर निर्धारण पत्रावली की जांच मे पाया गया कि संगत वर्ष मे विभिन्न संविदी विभाग से कुल भुगतान ` 81,82,61,445 प्राप्त हुआ है। जिस पर संविदी विभाग द्वारा `2,92,97,025 (` 2,84,80,057+ `8,16,968 वर्ष 2007-08) का टी डी एस काटा गया है। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए समाधान धनराशि `2,45,47,843 निर्धारित किया गया है। पत्रवाली पर उपलब्ध फार्म-8 के विवरण मे संविदाकार द्वारा सकल भुगतान (Gross Payment) के स्थान पर वास्तविक भुगतान (Net Payment) को घोषित किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित

01	फार्म - 8 संख्या	संविदाकार द्वारा घोषित कुल भुगतान (` मे)	Gross payment जिस पर समाधान कर निर्धारित किया जाना चाहिए (` मे)*	अंतर की धनराशि जिस पर समाधान कर नहीं लगाया गया। (` मे)	TDS (` मे)
01	02	03	04	05 (04-03)	06
01	050762	7960664	13008475	5047811	520339
02	064454	48251961	62531352	14279391	1700482
03	107399	8503654	8503654	0	340148
04	151228	4487350	4487350	0	134620
05	130336	4795030	13887267	9092237	416618
06	133418	5684165	6290025	605860	189497
07	077672	14377411	14377411	0	269617
08	065088	187383449	187383449	0	5593922
09	082240	10220481	11124529	904048	111246
10	014011	46626020	46626020	0	1398779
11	011048	58724757	58724757	0	2315351
12	004380	19545852	19545852	0	682919
13	004909	29450072	37077467	7627395	1112324
14	014782	2437203	2725600	288397	27256
15	062100	44216079	55771400	11555321	1673142
16	052804	77462913	77462913	0	2278175
17	056020	8139765	14453450	6313685	578138
18	014720	128045210	181522433	53477223	5445673
19	060212	7131859	7131859	0	200403
20	006107	63383703	66896700	3512997	2006901
21	004728	12499043	14911600	2412557	149116
22	006463	5324554	14945700	9621146	448371
23	014575	4431625	5363114	931489	119875
24		19178625	19178625	0	767145
योग		**818261445**	**943931002**	**12,56,69,557**	**2,84,80,057**

* फार्म-8 में वर्णित TDS प्रतिशतता की दर के आधार पर कुल भुगतान (Gross Payment) की गणना की गई है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार अंतर की धनराशि ` 12,56,69,557 पर समाधान राशि की गणना नहीं की गयी है। अतः उक्त धनराशि पर 3 प्रतिशत की दर से कर ` 37,70086.7 (12,56,69,557 x 3 प्रतिशत) संविदाकार पर अनारोपित रह गया।

सम्प्रेक्षा के इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा कहा गया कि ब्यापारी संविदाकार है जिनके द्वारा समाधान योजना के अन्तर्गत कर के स्थान पर समाधान शुल्क का विकल्प प्राप्त किया गया है। व्यापारी की लेखापुस्तकों से जांचोपरान्त व्यापारी को प्राप्त भुगतान की गणना की गयी है। गणना के अनुरूप ही व्यापारी पर कर समाधान शुल्क आरोपित किया गया है।

सम्प्रेक्षा को कर निर्धारण अधिकारी का उत्तर इस आधार पर अमान्य है, क्योंकि कर निर्धारण आदेश में सकल भुगतान के स्थान पर व्यापारी को प्राप्त शुद्ध भुगतान (उपरोक्त सारिणी के क्रम सं. 01, 02, 05, 06, 09, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22 एवं 23 Net Payment चेक की धनराशि पर) समाधान राशि की गणना की गयी। फलत;125669557 (` 94,39,31,002—` 81,82,61,445) की अन्तरीय धनराशि पर 3 प्रतिशत की दर ` 3770086.71 कर अनारोपित रह गया।

2- कार्यालय के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि सर्व श्री आर जी बिल्डवेल इंजी0 लि0 टिन सं0 05002864241 के द्वारा वर्ष 2011-12 मे संविदी विभागो द्वारा कुल भुगतान ` 69,32,25,069 का प्राप्त किया गया है जिस पर टी0डी0एस0 ` 2,07,99,707 का संविदी विभाग द्वारा काटा जाना घोषित किया गया है। फार्म-08 सं0 123353 के द्वारा कुल टी0 डी0 एस0 ` 26,77,151 विभाग द्वारा काटा गया है जबकि उक्त फार्म के सापेक्ष संविदाकार द्वारा ` 27,16,648 की टी डी एस दर्शाया गया है इस प्रकार ` 39,497 (`27,16,648 – ` 26,77,151) का अधिक का लाभ संविदाकार द्वारा लिया गया था। जबकि उक्त धनराशि संविदी विभाग द्वारा जमा नहीं करायी गयी थी ।

उक्त के अतिरिक्त संविदाकार द्वारा वर्ष 2011-12 में ` 18,27,000 एवं वर्ष 2009-10 में ` 3,51,77,767 की मशीनरी का क्रय किया गया था। जबकि पत्रावली पर बैलेन्स शीट की प्रति उपलब्ध नहीं थी। अत: बैलेन्स शीट सत्यापन होने तक उक्त धनराशि ` 3,70,04,967 को बिक्री मानते हुए कर 13.5 प्रतिशत की दर से ` 49,95,670 का कर आरोपणीय होना था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था संप्रेक्षा के इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा कहा गया कि संविदी विभाग से सत्यापन के उपरान्त टी डी एस की राशि के संबंध में अवगत कराया जाएगा। व्यापारी द्वारा एकीकृत बैलेन्स शीट बनायी जाती है, प्राप्त कर प्रस्तुत की जाएगी। अत: ` 0.40 लाख अधिक टी.डी.एस. लाभ दिये जाने तथा क्रय की गयी मशीनरी के संबंध में बैलेन्सशीट के प्रस्तुत न किए जाने से सत्यापन नहीं किया जा सका।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 अ

प्रस्तर - 2 कर के न्यूनरोपण से राजस्व क्षति ` 29.49 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा- 4(2)(ख)(i)(ई) के प्रावदानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भित्र माल के संबंध में 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - VI राज्य कर, देहरादून के माह अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि ब्यौहारी सर्व श्री फेडरर्स कार्पोरेश्षन लि0 कृष्णा मार्केट, सुभाष नगर देहरादून, टिन नं0–05007033980 एयर कंडीश्षनर पार्टस के निर्माण व बिक्री के लिये पंजीकृत है। करनिर्धारण वर्ष 2013–14 की पत्रावली के अनुसार उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25 (7) के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश के अनुसार कुल बिक्री `26,07,85,491.00 पर कुल `65,87,373.00 कर निर्धारण करना पाया गया। आगे पत्रावली की जॉच में पाया गया कि इलैक्ट्रिक पार्टस /इलैक्ट्रिक स्क्रैप की बिक्री `3,46,89,224.00 पर पॉच प्रतिषत की दर से `17,34,461.00 कर निर्धारित किया गया।

चॅूकि इलैक्ट्रिक पार्टस/ इलैक्ट्रिक पार्टस स्क्रैप किसी भी अनुसूची के अन्तर्गत सूचीबद्व नही है। अतएव इस पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जाना था। अत; इलेक्ट्रिक पार्टस स्क्रैप की बिक्री ` 34689224.00 पर अन्तरीय दर 8.5 (13.5-5) प्रतिशत की दर से ` 29,48,584.00 (3,46,89,224 X 8.5%) कर अनारोपित रह गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी कि व्यापारी द्वारा एयरकंडीषनर का निर्माण कर बिक्री की जाती है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान अनेक प्रकार का स्क्रेप भी अवषेस के रुप में बच जाता है।इस प्रकार ष्षेस बचा स्क्रेप मूलत; आयरन स्टील का अवषेस होता है जिस पर कर 5 प्रतिषत की दर से आरोपित किया गया है।

कर निर्धारण अधिकारी का उत्तर सम्प्रेक्षा को इस आधार पर अमान्य है, क्योंकि व्यौहारी की विक्रय सूची में स्क्रेप की मात्र `1,26,60824.00 बिक्री दिखाई गयी तथा ष्षेस बिक्री एसी/इलैक्ट्रिक पार्टस की दर्शायी गयी है। इस प्रकार `2,20,28,400.00 (34689224–12660824) के एसी पाटर्स /इलैक्ट्रिक पाटर्स की बिक्री पर अन्तरीय दर 8.5 प्रतिषत से `18,72,414.00.(22028400X8.5%) कर (विवाद रहित) अनारोपित रह गया। चॅूकि फर्म एसी पाटर्स व इलैक्ट्रिक पाटर्स का निर्माण कर रही है तो इसका स्क्रेप भी एसी पाटर्स व इलैक्ट्रिक पाटर्स स्क्रेप कहा जायेगा न कि आयरन स्टील

स्क्रेप जोकि उत्त्राखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनूसूची में सामिल न होने के कारण इस पर भी कर देयता 13.5 प्रतिषत निर्धारित है। अत; इस पर भी अन्तरीय दर से `10,76,170.00(12660824 X 8.5%) कर अनारोपित रह गया।

अतएव कुल अनारोपित कर `29,48,584.00(1872414+1076170) का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2 'ब'</u>

प्रस्तर-01 ब्याज का कम जमा/गैर जमा ` 23.45 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 (4) में प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा । ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 1.25 प्रतिशत मासिक अर्थात् 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)-VI, राज्य कर विभाग, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के आर-3 रजिस्टर (बकाया एवं वसूली पंजिका) एवं **<u>संलग्नक-'क'</u>** एवं **<u>संलग्नक-'ख'</u>** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा ` 6,19,112 ब्याज का कम जमा एवं ` 17,25,423 ब्याज का न जमा किया जाना पाया गया । जबकि सम्बन्धित व्यापारी के कर निर्धारण आदेश में कर की राशि मय ब्याज जमा किये जाने का स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं । तथापि आर-3 रजिस्टर से मांग को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी सर्वश्री बर्जर पेण्ट्स इं0 लि0 के द्वारा ब्याज सहित कर जमा किया गया है (जमा का प्रमाणपत्र संलग्न) एवं व्यापारी सर्वश्री नेक्स्ट रिटेल इं0 लि0 की बकाया कर से सम्बन्धित न होकर ब्याज सम्बन्धित है, अतः ब्याज पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना है । शेष व्यापारियों का अवशेष ब्याज जमा कर सूचित किया जायेगा ।

अतः ब्याज का कम जमा/गैर जमा ` 23,44,535 जिसमें ` 6,19,112 ब्याज का कम जमा एवं `17,25,423 ब्याज नही जमा करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक – "क"

Short Deposit of Interest

Sl. No.	Name of Dealer	Assessment Year	Tax Amount (`)	Period	Interest Due (`)	Interest Deposited (`)	Difference (`)
1.	मेसर्स कामेट एसेसरीज, देहरादून	2013-14	21,960	47 Months & 16 days (01.10.2013 to 16.09.2017 ***i.e. date of deposit***)	13046	12,078	968
2.	मेसर्स रेडियस सिस्टम, देहरादून (टिन नं0 05009496228)	2013-14	1,06,142	49 Months & 24 days (01.10.2013 to 24.11.2017)	66,059	434	65,625
3.	मेसर्स उत्तरांचल मार्केटिंग, देहरादून	2013-14 25(7)	78,053	52 Months & 19 days (01.10.2013 to 19.02.2018)	51,344	1,952	49,392
		2013-14 9(2)	1,10,723	52 Months & 19 days (01.10.2013 to 19.02.2018)	72,834	2,768	70,066
4.	मेसर्स वेलकम डिस्ट्रीब्यूटर्स, देहरादून (टिन नं0 05001234447)	2014-15	26,907	42 Months & 10 days (01.10.2014 to 10.04.2018)	14,237	12,793	1,444
5.	मेसर्स वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, देहरादून (टिन नं0 05011673393)	2016-17 (द्वितीय त्रैमास)	26,50,000	14 Months & 15 days (01.10.2016 to 15.12.2017)	4,80,086		
		2016-17 (चतुर्थ त्रैमास)	17,00,000	07 Months (01.04.2017 to 31.10.2017)	1,48,750	1,97,219	4,31,617
						TOTAL	**6,19,112**

संलग्नक – "ख"

Non Deposit of Interest

Sl. No.	Name of Dealer	Assessment Year	Amount of Tax (₹)	Period	Date of Deposit of Tax	Interest Due (₹)
1.	मेसर्स श्रावन्ती इन्फ्राटेक प्रा0 लि0, देहरादून (टिन नं0 05009732229)	2012-13 25(7)	8,93,373	62 Months & 12 days (01.10.12 to 12.12.17)	12.12.2017	6,96,770
		2012-13 9(2)	10,82,854	62 Months & 12 days (01.10.12 to 12.12.17)	12.12.2017	8,44,552
2.	मेसर्स अवन्ति बुफा प्रा0 लि0 (टिन नं0 05006609023)	2013-14 25(7)	51,014	47 Months & 25 days (01.10.13 to 25.09.17)	25.09.2017	30,494
		2013-14	37,888	47 Months & 25	25.09.2017	22,648

		9(2)		days (01.10.13 to 25.09.17)		
3.	मेसर्स जोईक लाईफ साईन्सेज, देहरादून (टिन नं0 05009906635)	2013-14 25(7)	2,02,389	51 Months & 24 days (01.10.13 to 24.01.18)	24.01.2018	1,31,019
					TOTAL	**17,25,423**

भाग-2 ब

प्रस्तर- 2 अधिक वापसी से राजस्व क्षति ` 8.05 लाख ।

उपायुक्त (क0नि)–6 राज्यकर विभाग देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि ब्यौहारी सर्व श्री देवेन्द्र कन्सट्रक्शन देहरादून टिन–05007971388 विभाग में सिविल संविदाकार के रुप में पंजीकृत है। व्यौहारी द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (2) के अन्तर्गत समाधान विकल्प लिया गया है। साथ ही ब्यौहारी का केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र अब तक (दिनॉक 25.07.2018)नेट पर सक्रिय होना पाया गया। गोपनीय पत्रावली में भी केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न पाया गया जिसमें सीमेंन्ट को 19.04.2014 से बढाया गया ।

ब्यौहारी की वर्ष 2013–14 की पत्रावली की जॉच में पाया गया कि कर निर्धारण वर्ष 2013–14 में कुल भुगतान `7,38,86,769.00 पर समाधान शुल्क `18,42,371.00 निर्धारित किया गया था। आगे महत्वपूर्ण बिन्दू यह है कि वर्ष 2013–14 के अनुबन्ध पर प्राप्त कुल भुगतान `4,02,34,251.00 पर मात्र दो प्रतिशत की दर से `8,04,685.00 समाधान राशि निर्धारित की गयी थी।

शासन के पत्र सं0 330/2012/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 17.04.2012 के द्वारा 01.04.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिये समाधान योजना लागू की गयी थी। जिसे वापस लेते हुए उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या- 380/2013/02(120)/ XXVI(8)/ 2013 दिनांक 28.03.2013 के द्वारा अविभाजित सिविल एवं अविभाजित विद्युत संविदाकारों मे दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए समाधान योजना लागू किया गया। जिसमे निम्न परिवर्ती शर्तो एवं प्रतियांधों के अधीन अविभाजित सिविल सकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत सकर्म संविदा को निष्पादित करने वाले पंजीकृत सिविल संविदाकारो एवं पंजीकृत विद्युत संविदाकारो हेतु देय कर के बदले समाधान राशि निश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

सिविल संविदा की शर्त के अनुसार सिविल सविदा के संबंध मे समाधान राशि की गणना निम्न शर्तो के अनुसार की जाएगी-बिन्दु 03 के अनुसार सिविल सविदाकारों के संबंध मे समाधान राशि मे समाधान राशि का आगणन-सिविल संकर्म संविदाओ के संबंध मे समाधान राशि का आकलन, सविदाकार द्वारा सम्पन्न सविदा की सकल धनराशि मे से सविदी द्वारा आपूर्ति किए गए ऐसे माल की धनराशि के घटाने के पश्चात प्राप्त धनराशि पर की जाएगी जिसका उल्लेख सविदा मे हो किन्तु यह कटौती अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। जिन सिविल संविदा मे मिट्टी का कार्य (अर्थवर्क) संविदा की कुल धनराशि के 33 प्रतिशत से अधिक होगा उनमे संविदाकार को प्राप्त होने वाली राशि मे से अर्थवर्क के संबंध मे संविदा की 33 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने वाली राशि घटा दिया जाएगा तथा अवशेष राशि पर समाधान राशि की गणना की जाएगी।

(क) ऐसे मामले जिनमे सिविल संविदाकार केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है अथवा उनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने तक अथवा उससे पूर्व अपना केंद्रीय बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु surrender कर दिया गया हो, और उनके द्वारा योजना की अवधि

मे कोई आयात न किया गया हो, के लिए समाधान राशि की गणना उपरोक्त के अनुसार आगणित धनराशि का 2 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

उपरोक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष 2013–14 के अनुबन्ध से प्राप्त भुगतान `4,02,34,251.00 पर 4 प्रतिशत की दर सें समाधान **राशि** निर्धारित किया जाना था। अतएव अन्तरीय दर 2(4–2) प्रतिशत की दर से `8,04,685.00(4,02,34,251X2%) कर अनारोपित रह गया व्यौहारी को `14,50,925.00 की वापसी की गयी है, जबकि कुल वापसी `6,46,240.00(1450925–804685) की जानी थी। इस प्रकार `804685.00 की अधिक वापसी की गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉचोंपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी है अत; अधिक वापसी `8,04,685.00 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग-2 ब

प्रस्तर- 3 अनियमित स्वतः कर निर्धारण एवं कर का न्यूनारोपण ` 0.10 लाख ।

उपायुक्त (क0नि)–6 राज्यकर विभाग देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान स्वत; कर निर्धारण प्रकरणों में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गयी।

(1) मै0 खुराना डिस्ट्रीब्यूटर्स टिन –05006960163 कर निर्धारण वाद 2015–16 में आई0टी0सी0का लाभ निम्नवत लिया गया;–

(क) प्रथम तिमाही `10,78,463.00

(ख) दितीय तिमाही `13,31,483

(ग) तीसरी तिमाही `12,79,255.00

(घ) चतुर्थ तिमाही `11,68,326.00

(2) मै0 ताल इन्टर प्राइजेज टिन–05012779484 कर निर्धारण वाद 2015–16 में आई0टी0सी0का लाभ निम्नवत लिया गया;–

(क) प्रथम तिमाही `9,25,519.00

(ख) दितीय तिमाही `7,58,650.00

(ग) तीसरी तिमाही `5,60,734.00

(घ) चतुर्थ तिमाही `2,29,861.00

उपरोक्त दोनो वादों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा असत्यापित इनपुट टैक्स लाभ लिये जाने के सम्बन्ध में नोटिस भी दिया गया। किन्तु इस नोटिस का कोई उत्तर दिया जाना पत्रावली पर नही पाया गया। साथ ही पत्रावली पर लिये गये इनपुट टैक्स लाभ के साक्ष्य के रुप में खरीद सूची पत्रावली के साथ संलग्न नही पायी गयी।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर(संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 25–क का 2 के परन्तुक (दो) के अनुसार ऐसे मामले, जिनमे केन्द्रीय कर अधिनियम 1956 अथवा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 में विनिदिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कर की मुक्ति, रियायत अथवा रिबेट का दावा किया गया हो, में वार्षिक विवरणी तथा ऐसे दावों के समर्थन में सम्बन्धित अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित धोषणा पत्र अथवा अन्य साक्ष्य इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को

अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर दाखिल कर दिये गये हों।

(छ;) ऐसे व्यौहारी के विरुध कोई प्रतिकूल जॉच अथवा कार्यवाही न की गयी हो।

उपरोक्त प्रावधान के आलोक में इन ब्यौहारियों को स्वत; कर निर्धारण का लाभ नही दिया जाना था,साथ ही ली गयी आई0टी0सी0 भी प्रावधान के अनुसार अनुमन्य नही थी।

(3) मै0 आरना एसोसियेटस देहरादून टिन–05014560792 के कर निर्धारण वाद 2014–15 की जॉच में पाया गया कि व्यौहारी द्वारा `123437.00 की मोबाइल ऐसेसरीज की बिक्री की गयी जिस पर पॉच प्रतिशत की दर से कर अदा किया गया, जबकि मोबाइल ऐसेसरीज उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की की किसी भी सूची के अन्तर्गत नही आती है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–4(2) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबन्ध में 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा।

अत; इस पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होना था। अतएवं इस पर अन्तरीय दर 8.5(13.5–5)प्रतिशत से `10,492.00(1,23,437X8.5) कर अनारोपित रह गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉचोंपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी है अत; स्वत; कर निर्धारण प्रावधानों की अनदेखी करने तथा कम दर से अनारोपित कर `10,492.00 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
RS/CT-03/2006-07	-	01,03,04	
SRG/CT-38/2009-10	-	01	
SRG/CT-04/2011-12	01	01,03,04	
RS/CT-03/2012-13	01	03,05	
RS/CT-31/2013-14	01,02,03	-	
RS/CT-40/2014-15	01,02	01	
RS/CT-27/2015-16	-	01,02,03,04,05,06	STAN 01,02
RS/CT-26/2016-17	01	01,02,03,04,05	
RS/CT-127/2017-18	01	01,02	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - VI, राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1	श्री मनीष मिश्रा	उपायुक्त	01.04.14 से 31.03.18 तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - VI, राज्य कर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र